

पुलिस आदेश सं० 229/91

पुलिस आदेश सं० 219/90 एवं पुलिसआदेश सं० 227/91 के द्वारा आरक्षी को जिले
आरक्षी महानिरीक्षक कोठ तक के पदाधिकारियों का रेल पुलिस में पदस्थापन अप्रिय पदस्थापन
मार्गक्रम का उल्लेख किया गया है किन्तु रेल पुलिस में पदस्थापन की अवधि का जिक्र नहीं
है।

रेल पुलिस में कार्य को काठनाई एवं इसके स्वरूप को देखते हुए विचारोपरान्त
रेल जिला में पदस्थापना की अवधि सामान्यतया चार-छह वर्ष रखी जाती है।

अरुण कुमार चौधरी

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना।

आदेश सं० 7887/वी-2

7-6-53-90पीए-3

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार।
पटना, दिनांक 7⁰ नवम्बर, 1991

प्रतिलिपि :-

1. महानिदेशक, विशेष शाखा/तकनाकी सेवारं, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
2. अपर महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय
आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी महानिरीक्षक, रेलवे, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शनार्थ।
3. सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक/आरक्षी उप-महानिरीक्षक, रेलवे/
आरक्षी उप-महानिरीक्षक/प्रशिक्षण, पाठोपाठ को सूचनार्थ एवं मार्गदर्शन हेतु।
4. सभी आरक्षी अधीक्षक, रेल आरक्षी अधीक्षक, प्राचार्य, महाविद्यालय, आरक्षी अधीक्षक,
प्रशिक्षण केन्द्र, पदमा को सूचनार्थ।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :-

प्रशाखा पदाधिकारी, पी-1 प्रशाखा/पी-2 प्रशाखा (मजदूर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक तथ्यार्थ।
प्रशाखा/एक्स-रल प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक तथ्यार्थ।

श्रीवास्तव/16.11.91

18/11